

क्रम सं० तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
5/11/21	आदेश प्रस्तुत एस० सी० वाद सं०-21/2019-20 (भीम बाउरी-बनाम-गणेश राय) प्रथम आवेदक-भीम बाउरी, पिता-स्व० उपेन्द्र बाउरी, साकिन-शेखपुरा, थाना-खागा, अंचल-पालोजोरी एवं द्वितीय आवेदक-गणेश राय, पिता-स्व० शामलाल राय, साकिन-सलदाहा, थाना-खागा, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर द्वारा अपनी सुविधा हेतु अपने-अपने जमीन का बदलेन हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यालय के ज्ञापांक-480/डी०बी० दिनांक-19.09.2019 के द्वारा अंचल अधिकारी, पालोजोरी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी, जो उनके पत्रांक-603/रा०, दिनांक-19.12.2020 से प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। प्रस्तुत वाद में विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, पालोजोरी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, पालोजोरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-शेखपुरा, थाना नम्बर-466, जमाबंदी नम्बर-04, दाग नम्बर-10, कुल रकवा-0.58 एकड़ किस्म धानी सेम भूमि दखल किष्टु बाउरी वल्द शरवन बाउरी कौम-बाउरी, सा०-देह के नाम से गैजर पर्चा में दर्ज है। उक्त भूमि के अंश रकवा-0.10 एकड़ भूमि आवेदक प्रथम पक्ष भीम बाउरी, पिता-स्व० उपेन्द्र बाउरी, छाया देवी, पति-स्व० अर्जून बाउरी, अशोक बाउरी, पिता-स्व० जोगिन्द्र बाउरी, साकिन-शेखपुरा, थाना-खागा, अंचल-पालोजोरी जो कि पर्चाधारी रैयत के वंशज है के द्वारा आवेदक द्वितीय पक्ष गणेश राय, पिता-स्व० शामलाल राय, साकिन-सलदाहा, थाना-खागा, अंचल-पालोजोरी के द्वारा मौजा-सलदाहा, थाना नम्बर-465, जमाबंदी नम्बर-48, दाग नम्बर-90, कुल रकवा-0.39 एकड़, किस्म-धानी दोयम (इजमाल भूमि, संजय राय वो जानकी राय, पेशरान कन्हाई राय वो बिहारी राय वो सीतानाथ राय पेशरान मलुखम राय वो रामेशर राय वो शामलाल राय पेशरान कार्तिक राय वो प्रयाग राय वो दाता राय पेशरान बेनी राय कौम-सुडी सा०-देह के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है) के अंश रकवा-0.10 एकड़ भूमि एक दूसरे के साथ परिबदल में देना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, पालोजोरी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष के 10 डी० भूमि किस्म-धानी सेम का मूल्य एवं द्वितीय पक्ष के 7.5 डी० भूमि किस्म-धानी दोयम का मूल्य बराबर है। दोनों पक्ष सटे हुए मौजा के वारिसान तथा परिबदल की जाने वाली जमीन भी एक दूसरे से सटा मौजा में है तथा दोनों पक्षों के द्वारा अपने-अपने सुविधा के लिये आपसी सहमति से अपने-अपने जमीन का परिबदल करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के द्वारा परिबदल करने वाली जमीन का मूल्य बराबर है। अतः अंचल अधिकारी, पालोजोरी के अनुशंसा के आधार पर आवेदक प्रथम पक्ष-भीम बाउरी, पिता-स्व० उपेन्द्र बाउरी, छाया देवी, पति-स्व० अर्जून बाउरी, अशोक बाउरी, पिता-स्व० जोगिन्द्र बाउरी, साकिन-शेखपुरा, थाना-खागा, अंचल-पालोजोरी एवं आवेदक द्वितीय पक्ष-गणेश राय, पिता-स्व० शामलाल राय, साकिन-सलदाहा, थाना-खागा, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के नाम से उपर्युक्त भूमि प्रथम पक्ष का 10 डी० एवं द्वितीय पक्ष का 7.5 डी० का आपसी बदलेन की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पालोजोरी को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	21/3/21 दिनांक 3-4-21

F:\Gopniya 22-04-21\Order.docx

44. Kamalaya P. Singh
45. Jyotirmoy Mahanta

88. Pradeep Kumar
89. Jitendra Kumar
90. Vijay Kumar

133 Gopal Sharma
134. Binod Kumar Sinha
135. Pranay Kumar Sinha

178. Murari Mohan Jha
179. Mithilesh Kumar Jha
180. Santosh Kumar

Received from EXECUTANT who is known to me Personally or who is identified by.....